रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935
No. 107] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

सा.का.नि. 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव करते हुए उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

अब, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो बोर्ड के साथ परामर्श किए बिना नियम बनाने की आवश्यकता प्रदान करती है;

केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 36 के परंतुक के निबंधनों के अनुसार, इन नियमों के बनाए जाने के छह मास के भीतर केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करेगी और उन सुझावों पर विचार करेगी जो बोर्ड इन नियमों के संशोधन के संबंध में दे;

आक्षेप और सुझाव जो प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले प्राप्त होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप और सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

1. नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ज) लेबल पर दी गई जानकारी हिन्दी में और अंग्रेजी में अनुवादित होगी और पर्चियों पर हिन्दी, अंग्रेजी और प्रदेश में जहां विक्रय के लिए उत्पाद प्रस्तावित है, की प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होगा ;

(झ) पर्ची सुस्पष्ट मुद्रित होगी और पाठ मुद्रण का आकार ग्यारह (11) बिन्दु से कम नहीं होगा ;

(ञ) उत्पाद के लिए संबंधित अच्छी कृषि व्यवहार की सूची तीसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट मार्गनिर्देशों के अनुसार पर्ची पर देनी होगी ;

(ट) सुरक्षा चित्रलेख लेबल और अन्य पर, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे, पर्चियों पर भी मुद्रित होंगे ;

(ठ) विषाक्तता के मामलों में उपचार के लिए चिकित्सक को सलाह के ब्यौरे पर्ची पर अंतर्विष्ट होंगे ;

(ड) लक्ष्यित जीव और फसल के संदर्भ के साथ उपयोग के लिए लेबल दावे और निदेश के ब्यौरे पर्ची पर मुद्रित होंगे ;

(ढ) कीटनाशी उपयोग की तकनीक से संबंधित अच्छे व्यवहार के अंतर्गत प्रत्येक फसल के लिए निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(i) मौसम दशाएं

(ii) मृदा

(iii) उपयोग के लिए फसल की प्रास्थिति

(iv) उपयोग तकनीक

(v) उपस्कर प्रकार

(vi) नोजल प्रकार

(vii) मात्रा

(viii) मिश्रण के लिए अनुदेश

(ix) पुनःप्रवेश की अवधि

(x) पूर्व फसल का अंतराल

(xi) उपयोग का समय निर्धारण

(xii) आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या

(ण) प्रास्थिति जिसके दौरान कीटनाशी किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगे, नहीं दी जाएगी ;

(त) फायदाप्रद कीटों जैसे मधुमक्खी को क्षति से बचने के उपाय करने की सावधानियां और नाशक जीव के प्राकृतिक शत्रुओं को उपलब्ध कराना ;

(थ) पत्रकों में परिरुद्ध क्षेत्र, जैसे ग्लास हाऊस, पाली हाऊस, नर्सरी बेड, भंडारण संरचनाएं, प्रधूमन कक्ष और लोक निवासों में नाशक कीटमार के उपयोग के लिए अपनाएं जाने वाले व्यवहार भी अंतर्विष्ट होंगे ;

(द) उपयोगकर्त्ताओं के लिए सावधानी निर्देश आधानों के पुनः उपयोग के लिए नहीं - "रिक्त आधान पुनः उपयोग के लिए खतरनाक" मोटे अक्षरों में मुद्रित होगा ;

(ध) उपयोग किए गए आधानों के सुरक्षित निपटान के लिए निर्देश उपबंध किए जाएंगे ;

(न) सभी उपयोगकर्त्ताओं का ध्यान आकर्षित करने को समुचित रंगों के पत्रकों पर अनुदेश होंगे ;

(प) कंपनी अपनी वेबसाइट पर लेबल और पत्रकों के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध कराएगी और पत्रकों पर वेबसाइट का पता मुद्रित होगा ;

IndiaCode

(फ) नाशक कीटमार सूत्र के लिए पत्रक किसी प्लास्टिक के आवरण में रखना होगा और नियम 19 के उपनियम (7) के खंड (iii) के अनुसार पैक और पाउच की बाहरी और आंतरिक के मध्य रखना होगा ;

(2) नियम 19 में,—

(i) उपनियम (3) में, "लेबल में एक सुस्पष्ट स्थान पर लेबल के आकार के कुल क्षेत्र के कम से कम 16वें भाग के बराबर" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"लेबल में एक सुस्पष्ट स्थान पर लेबल के आकार के कुल क्षेत्रफल के कम से कम पैनल के क्षेत्र का 16वें भाग या 4 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें से जो भी अधिक हों, के बराबर" ;

(ii) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7)(i) आयाताकार आद्यान के संबंध में न्यूनतम दो पैनल और बोतल के संबंध में तीन पैनल का लेबल होगा । आद्यान के सम्मुख की ओर लगा हुआ दो पैनल लेबल का न्यूनतम आकार दस सेंटीमीटर गुणा तेरह सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा । तीन पैनल लेबल का न्यूनतम आकार दस सेंटीमीटर गुणा इक्कीस सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा ।

लेबल पर निम्नलिखित जानकारी मुद्रित होगी :-

(I) दो पैनल का लेबल (आयाताकार आद्यान या थैली के लिए) :

अ. लेबल का सम्मुख पैनल के बाईं ओर का आकार छह सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगा जिस पर अंग्रेजी में जानकारी अंतर्विष्ट होगी :

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(घ) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या ;

(ङ) द्वारा विनिर्मित ;

(च) द्वारा विपणन ;

(छ) विनिर्माण की तारीख ;

(ज) अवसान की तारीख ;

(झ) बैच संख्या ;

(ञ) शुद्ध अबयब ;

(ट) सूत्र की संरचना ;

(ठ) विशाक्तता के वर्गीकरण के अनुसार सावधानी का प्रतीक और सावधानी के शब्द ;

(ड) "उपयोग करने के पहले पत्रक पढ़ें" के अनुदेश ; और

(ढ) चेतावनी :

1. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;
2. पश्च फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;
3. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;
4. पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

आ. **लेबल के दाहिनी ओर**

पैनल की दाईं ओर सात सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगी और हिन्दी में निम्नलिखित मुद्रित जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) "उपयोग से पहले पत्रक पढ़े" का अनुदेश ;

(घ) सावधानी शब्द 'विष' लाल अक्षरों में ;

(ङ) उपयोग के लिए निर्देश - लेबल दावा के अनुसार समुचित निर्देश जैसे फसलों की सूची और उपयोग की परामर्श रीति तथा समय ; ;

(च) मात्रा ;

(छ) नाशक कीटमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् अनुकूलतम पुनः प्रवेश की अवधि और अनुकूलतम पूर्व फसल अंतराल (पू.फ.अं.) ;

(ज) निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां अनुप्रयोग के पश्चात् अच्छे तरीके से संदूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों का पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन से बचना । अनुप्रयोग के दौरान कोई धूम्रपान, पीना, खाना और चबाना मना है ;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा ;

(ञ) प्रतिविष ;

IndiaCode

(ट) चेतावनी

1. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2. पश्च फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;

3. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4. पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ठ) चित्राक्षर ग्राम के लिए उपर्युक्त चिन्हित स्थान पर कंपनी का नाम, बार कोड, होलोग्राम, ई-मेल आई डी और उपभोक्ता देखरेख संख्या मुद्रित होगी ;

(ड) न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्राक्षर (तीसरी अनुसूची में चित्र एक और दो देखें) । दाहिनी ओर के पैनल के नीचे की ओर बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ा चित्राक्षर होगा ।

इ. **लेबल के पीछे की ओर** : आद्यान के पीछे की ओर लेबल होगा उस पर लेबल के सामने की ओर दाहिने पैनल पर हिन्दी में अनुदित सामग्री और क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में मुद्रित होगी जहां वह विक्रय के लिए प्रस्तावित है ।

(II) **तीसरा पैनल (बोतल के लिए)**

(i) पैनल की बाईं ओर छह और आधा सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगी और कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में निम्नलिखित मुद्रित जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) "उपयोग से पहले पत्रक पढ़े" का अनुदेश ;

(घ) सावधानी शब्द 'विष' लाल अक्षरों में ;

(ङ) उपयोग के लिए निर्देश - लेबल दावा के अनुसार समुचित निर्देश जैसे फसलों की सूची और उपयोग की परामर्श रीति तथा समय ;

(च) मात्रा ;

(छ) नाशक कीटमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् अनुकूलतम पुनः प्रवेश की अवधि और अनुकूलतम पूर्व फसल अंतराल (पू.फ.अं.) ;

(ज) निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां अनुप्रयोग के पश्चात् अच्छे तरीके से संदूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों का पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन से बचना । अनुप्रयोग के दौरान कोई धूम्रपान, पीना, खाना और चबाना मना है ;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा ;

(ञ) प्रतिविष ;

(ट) चेतावनी

1. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2. पश्च फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;

3. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4. पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ठ) चित्राक्षर ग्राम के लिए उपर्युक्त चिन्हित स्थान पर कंपनी का नाम, बार कोड, होलोग्राम, ई-मेल आई डी और उपभोक्ता देखरेख संख्या मुद्रित होगी ।

(ii)(क) लेबल का सम्मुख पैनल के बाईं ओर का आकार सात सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगा जिस पर अंग्रेजी में जानकारी अंतर्विष्ट होगी :

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(घ) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या ;

(ङ) द्वारा विनिर्मित ;

(च) द्वारा विपणन ;

(छ) विनिर्माण की तारीख ;

(ज) अवसान की तारीख ;

(झ) बैच संख्या ;

(ञ) शुद्ध अबयब ;

(ट) सूत्र की संरचना ;

(ठ) विशाक्तता के वर्गीकरण के अनुसार सावधानी का प्रतीक और सावधानी के शब्द ;

(ड) "उपयोग करने के पहले पत्रक पढ़ें" के अनुदेश ; और

(ढ) चेतावनी

1 लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2 पश्च फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;

3 पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4 पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ख) पैनल की दाईं ओर सात और आधा सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगी और हिन्दी में निम्नलिखित मुद्रित जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) "उपयोग से पहले पत्रक पढ़े" का अनुदेश ;

(घ) सावधानी शब्द 'विष' लाल अक्षरों में ;

(ङ) उपयोग के लिए निर्देश - लेबल दावा के अनुसार समुचित निर्देश जैसे फसलों की सूची और उपयोग की परामर्श रीति तथा समय ;

(च) मात्रा ;

(छ) नाशक कीटमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् अनुकूलतम पुनः प्रवेश की अवधि और अनुकूलतम पूर्व फसल अंतराल (पू.फ.अं.) ;

(ज) निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां अनुप्रयोग के पश्चात् अच्छे तरीके से संदूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों का पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन से बचना । अनुप्रयोग के दौरान कोई धूम्रपान, पीना, खाना और चबाना मना है ;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा ;

(ञ) प्रतिविष ;

(ट)चेतावनी

1 लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2 पश्च फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;

3 पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4 पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ठ) चित्राक्षर ग्राम के लिए उपर्युक्त चिन्हित स्थान पर कंपनी का नाम, बार कोड, होलोग्राम, ई-मेल आई डी और उपभोक्ता देखरेख संख्या मुद्रित होगी ; और

(ड) न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्राक्षर (तीसरी अनुसूची में चित्र एक और दो देखें) । दाहिनी ओर के पैनल के नीचे की ओर बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ा चित्राक्षर होगा ।

(iii) लेबल अंग्रेजी में सात बिन्दू (7) और हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में साढे पांच बिन्दु (5.5) से अन्यून के फोंट आकार का उपयोग करके स्पष्ट मुद्रित होगा ।

(iv) यदि आद्यान या पैकेट या थैली छोटे हैं, उत्पाद किसी बाहरी आवरण में पैक होगा जिस पर नियम 19 के उपनियम 7 के खंड (i) के अनुसार विहित आकार का लेबल मुद्रित होगा ।

(v) जहां उत्पाद किसी छोटे पैकेट या आद्यान या थैली में, की दशा में, किसी बड़े पैकेट में पैक हैं, छोटे पैकेट या आद्यान या थैली में पैक किया गया है, बाहरी आवरण पर पांच बिन्दु (5) से अन्यून फोंट आकार में अंग्रेजी और हिन्दी में मुद्रित होगा :-

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या ;

(घ) बैच संख्या ;

(ङ) अवसान की तारीख ;

(च) द्वारा विनिर्मित ;

(छ) शब्द 'विष' लाल अक्षरों में ।

(vi) माडल लेबल (दूसरा और तीसरा पैनल) तीसरी अनुसूची में दिए गए चित्रों के अनुसार होंगे ।

3. 'दूसरी अनुसूची' के पश्चात् निम्नलिखित "तीसरी अनुसूची" अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

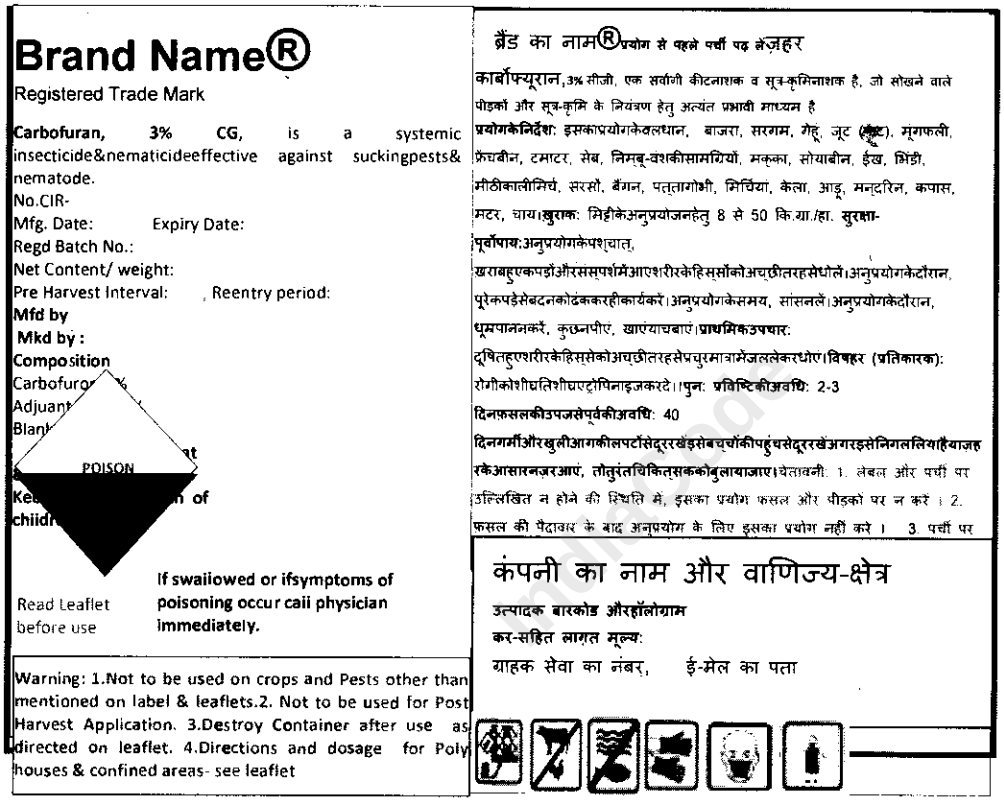
996 GI/14-2

" तीसरी अनुसूची

(नियम 19 देखें)

(चित्र 1)

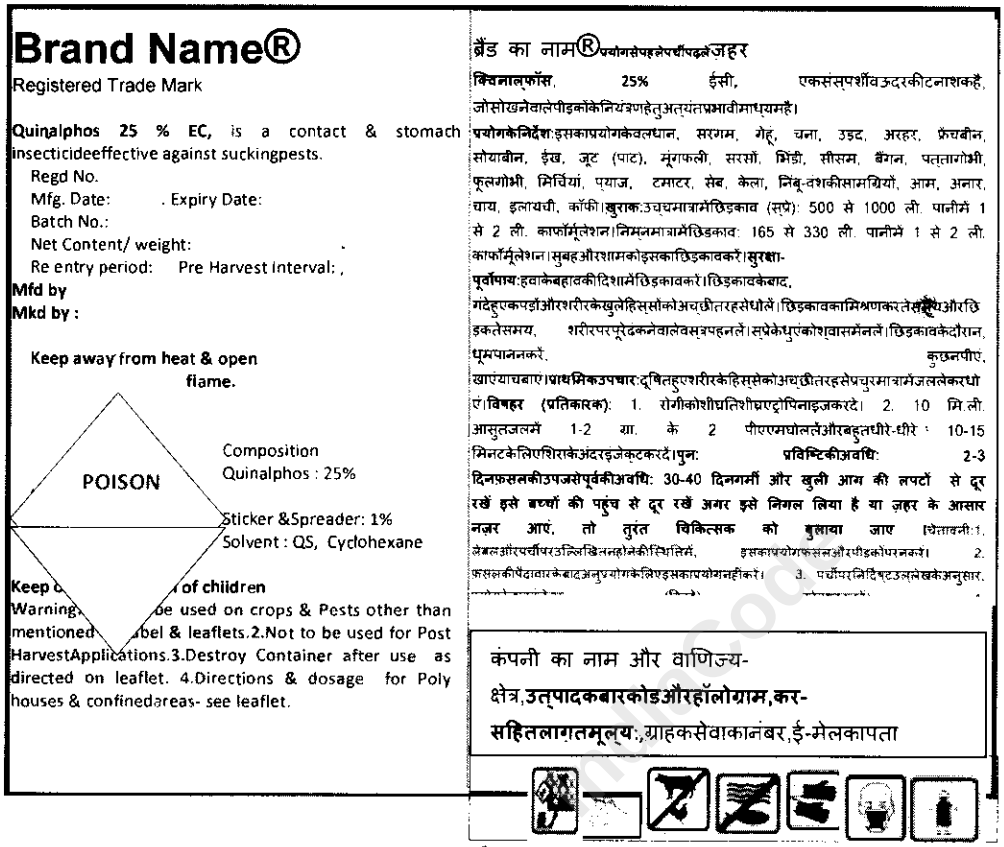
कीटनाशी के लिए दो पैनल लेबल - न्यूनतम आकार



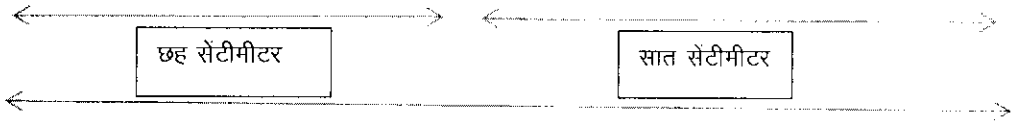
क. लेबल का आकार	: तेरह गुणा दस सेंटीमीटर
ख. लेबल का क्षेत्र	: एक सौ तीस वर्ग सेंटीमीटर
ग. बायां पैनल	: साठ वर्ग सेंटीमीटर
घ. दायां पैनल	: सत्तर वर्ग सेंटीमीटर
1) चेतावनी प्रतीक	: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायां पैनल इकसठ सेंटीमीटर होगा ।
2) सावधानी चित्राक्षर	: दाहिनी और का पैनल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा ।

(चित्र 2)

कीटनाशी के लिए दो पैनल लेबल - न्यूनतम आकार



प्रवर्ग-1 (अत्यधिक विषैला)

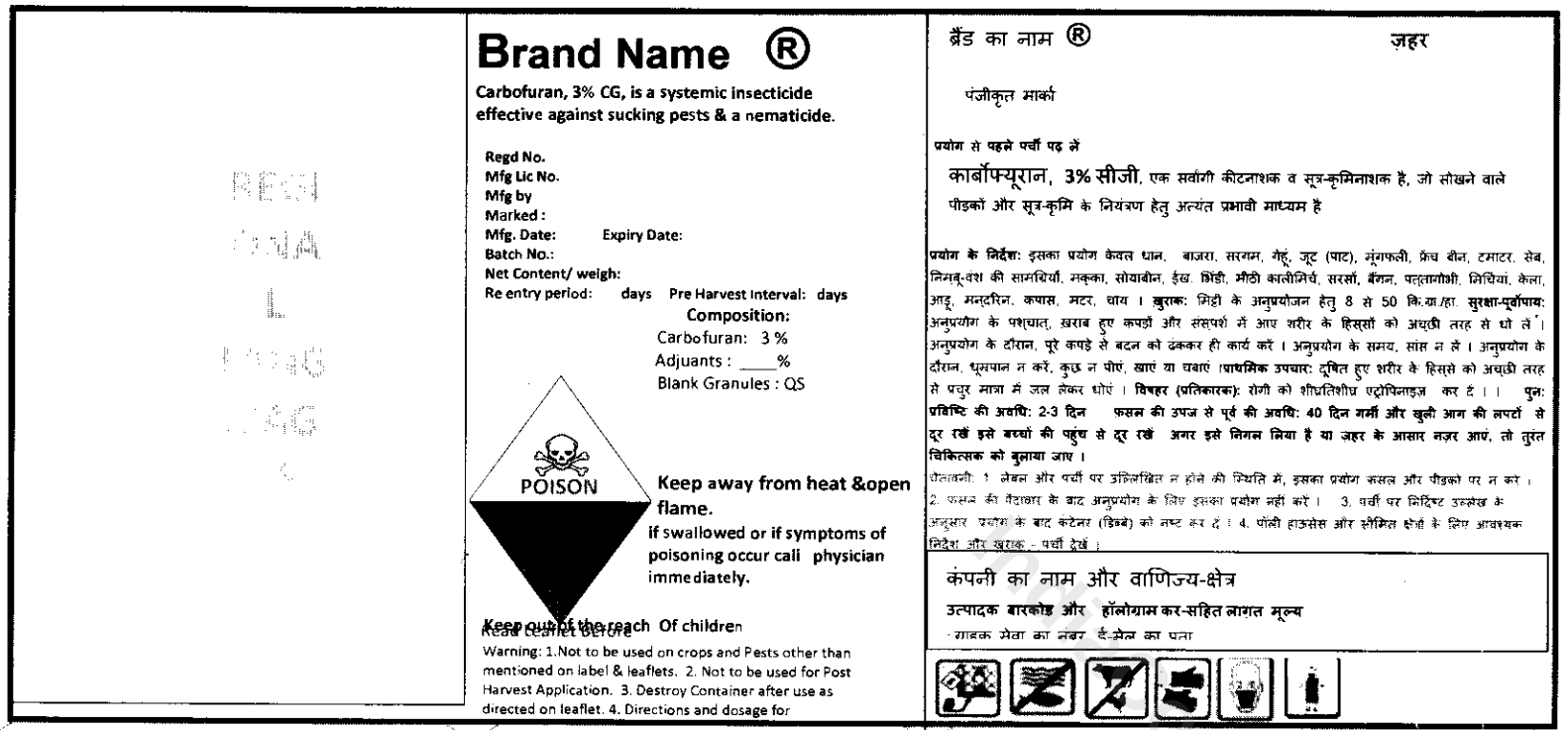


तेरह सेंटीमीटर

क. लेबल का आकार	: तेरह गुणा दस सेंटीमीटर
ख. लेबल का क्षेत्र	: एक सौ तीस वर्ग सेंटीमीटर
ग. बायां पैनल	: साठ वर्ग सेंटीमीटर
घ. दायां पैनल	: सत्तर वर्ग सेंटीमीटर
1) चेतावनी प्रतीक	: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायां पैनल इकसठ सेंटीमीटर होगा ।
2) सावधानी चित्राक्षर	: दाहिनी और का पैनल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा ।

(चित्र 3)

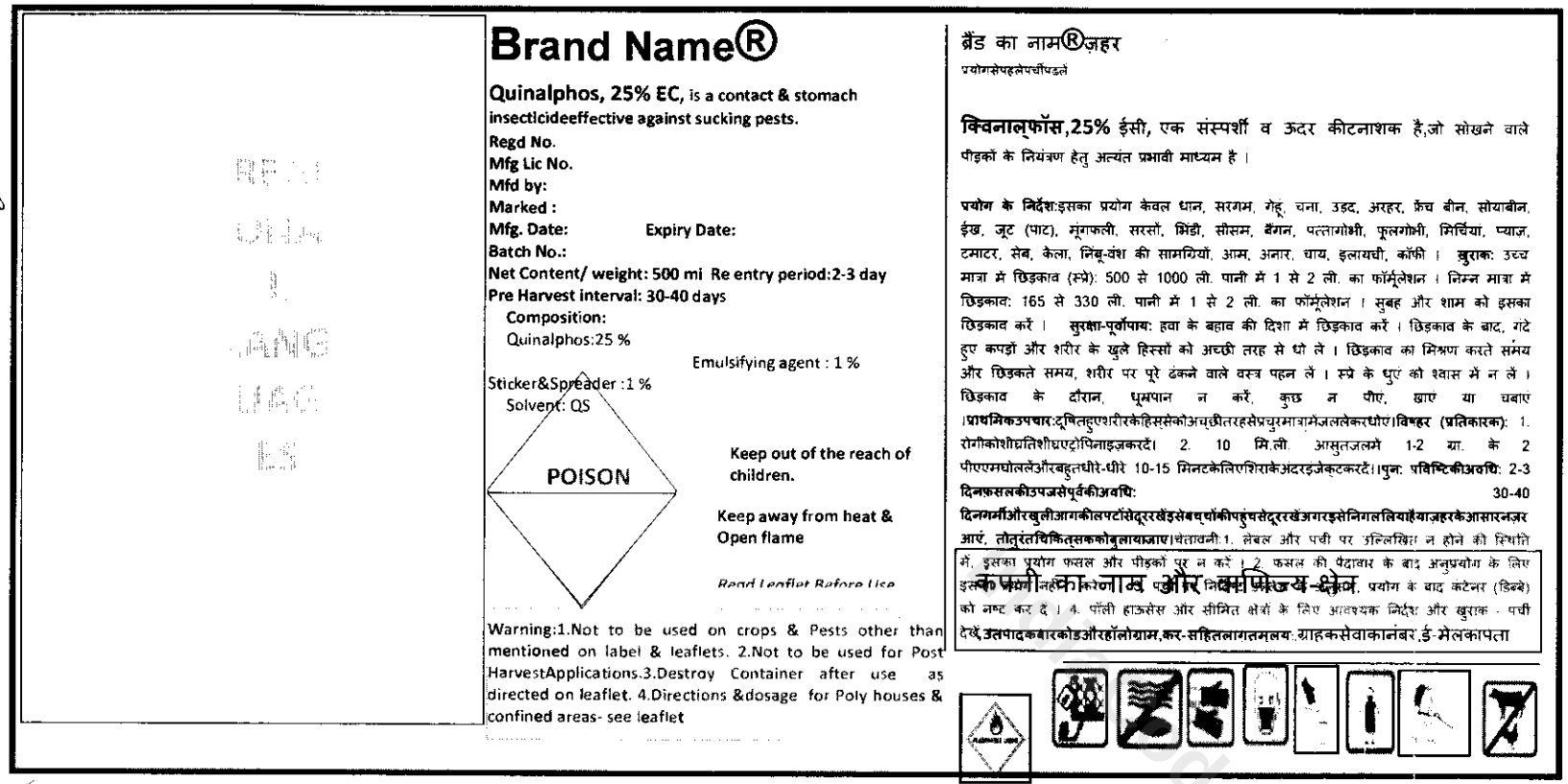
कीटनाशी के लिए दो पैनल लेबल - न्यूनतम आकार



क. लेबल का आकार	: इक्किस गुणा दस सेंटीमीटर
ख. लेबल का क्षेत्र	: दो सौ दस वर्ग सेंटीमीटर
ग. बायां पैनल	: पैसठ वर्ग सेंटीमीटर
घ. मध्य पैनल	: सत्तर वर्ग सेंटीमीटर
ङ. दायां पैनल	: पिचहत्तर वर्ग सेंटीमीटर
1) चेतावनी प्रतीक	: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायां पैनल इकसठ सेंटीमीटर होगा ।
2) सावधानी चित्राक्षर	: दाहिनी और का पैनल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा ।

(चित्र 4)

कीटनाशी के लिए दो पैनल लेबल - न्यूनतम आकार



दस सेंटीमीटर

छह और आधा सेंटीमीटर | सात सेंटीमीटर | सात और आधा सेंटीमीटर

इक्किस सेंटीमीटर

क. लेबल का आकार	: इक्किस गुणा दस सेंटीमीटर
ख. लेबल का क्षेत्र	: दो सौ दस वर्ग सेंटीमीटर
ग. बायां पैनल	: पिचहत्तर वर्ग सेंटीमीटर
घ. मध्य पैनल	: साठ वर्ग सेंटीमीटर
ङ. दायां पैनल	: पिचहत्तर वर्ग सेंटीमीटर
1) चेतावनी प्रतीक	: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायां पैनल इकसठ सेंटीमीटर होगा ।
2) सावधानी चित्राक्षर	: दाहिनी और का पैनल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा" ।

[फा.सं. 13035/21/2013-पीपी-I]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ) तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्न द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए हैं :-

1. सा.का.नि. 474(अ) तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ) तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ) तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ) तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ) तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 548(अ) तारीख 12 सितंबर, 2007,
8. सा.का.नि. 692(अ) तारीख 7 नवंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 128 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2009,
10. सा.का.नि. 174(अ) तारीख 5 मार्च, 2010, और
11. सा.का.नि. 474(अ) तारीख 11 जुलाई, 2013 ।

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

G.S.R. 151(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Whereas, the Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make the rules without consultation with the Board;

In terms of proviso to Section 36 of the Act, the Central Insecticide Board shall be consulted within six months of the making of the rules and the Central Government shall take into consideration any suggestions which the Board may make in relation to the amendment of the said rules;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the draft rules before the expiry of the period of forty-five days aforesaid shall be considered by the Central Government.

Objections and suggestions in respect to the draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2014.
 (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules), -

1. after clause (g) of sub-rule (1) of rule 18, the following clauses shall be inserted, namely:-

(h) the information furnished on the label in English and Hindi shall be translated and published on the leaflet in Hindi, English and in the regional language of the region where the product is proposed for sale;

(i) the leaflet shall be printed legibly and font size of the text shall be not less than eleven (11) points;

(j) the list of good agricultural practices relevant for the product shall be furnished on the leaflet as per the guidelines contain in the THIRD SCHEDULE;

(k) safety pictograms provided on the label and others, if any, shall also be printed on the leaflet;

(l) leaflet shall contain detailed advice to physicians for treatment in cases of poisoning;

(m) details of label claims and directions for use with reference to target organism and crop shall be printed on the leaflet;

(n) good practices relating to pesticide application techniques covering the following shall be provided for each crop, namely:-

(i) Weather conditions
(ii) Soil
(iii) Crops stage for application
(iv) Application techniques
(v) Equipment type
(vi) Nozzle type
(vii) Dosage
(viii) Instructions for mixing
(ix) Re entry period
(x) Pre harvest Interval
(xi) Application timings
(xii) Frequency including maximum number of sprays

(o) stages during which pesticides should not be applied on any crop shall be furnished;

(p) precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests shall be furnished;

(q) the leaflet shall also contain the practices to be followed for usage of pesticides in confined areas, such as Glasshouses, Polyhouses, nursery beds, storage structures, fumigation chambers and public dwellings;

(r) the warning directing the users not to re-use the containers – "Dangerous to re-use empty containers" shall be printed in bold letters;

(s) directions for safe disposal of used containers shall be provided;

(t) instructions on leaflets shall be appropriately coloured to draw attention of all users;

(u) the company shall furnish all information about the label and leaflet on their website and the address of the website shall be printed on the leaflet;

(v) the leaflet for the pesticide formulations shall be inserted in a plastic cover and shall be kept between outer and inner pack or pouch as per clause (iii) of sub-rule (7) of rule 19".

2. in rule 19, -

(i) in sub-rule (3), for the words "one sixteenth of the total area of the face of the label" the following shall be substituted, namely:-

"one-sixteenth of the area of the panel or four square centimetres whichever is greater";

(ii) for sub-rule (7) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) (i) The label shall have minimum of two panels in respect of rectangular containers and three panels in respect of bottles. The minimum size of the two panel label to be affixed on the face of the container shall be not less than ten centimetres X thirteen centimetres. The minimum size of the three panel label shall be not less than ten centimetres X twenty-one centimetres.

The following information shall be printed on the label:-

(I) Two panel label (for rectangular containers or pouches):
A. Face of the label:

The panel on the left side shall be six centimetres X ten centimetres and shall contain the following information in English:

(a) Brand name;
(b) Common name;
(c) Registration Number;
(d) Manufacturer's licence number;
(e) Manufactured by;
(f) Marketed by;
(g) Date of Manufacture;
(h) Expiry date;
(i) Batch number;
(j) Net content;
(k) Composition of the formulation;
(l) Cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words;
(m) Instruction to "Read Leaflet Before Use"; and
(n) Warning *1.Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. Not to be used for Post Harvest Applications.
3.Destroy Container after use as directed on leaflet.
4.Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet.

B. Right side of the label:

The panel on the right side shall be seven centimetres X ten centimetres and shall contain the following information printed in Hindi.

(a) Brand name;
(b) Common name;
(c) Instruction to "Read Leaflet Before Use";
(d) Cautionary word- 'Poison' in Red letters;
(e) Directions for use – Adequate directions as per label claims i.e. list of crops and recommend manner and time of application;
(f) Dosage;
(g) Optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum Pre-Harvest Interval(PHI);
(h) The following Safety precautions –Wash contaminated clothes and parts of the body thoroughly after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation during application. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application;
(i) First Aid;
(j) Antidote;
(k) Warning *1.Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. Not to be used for Post Harvest Applications.
3.Destroy Container after use as directed on leaflet.
4.Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet;

(l) Company's name, barcode, hologram, email id and customer care numbers shall be printed above the space earmarked for pictograms; and
(m) all relevant safety pictograms (see picture I and II in the THIRD SCHEDULE) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel.

(C) The rear side of the Label: There shall be a label on the rear side of the container, on which matter printed on right panel of the face of the label in Hindi shall be translated and printed in the regional language(s) of the area where it is proposed for sale.

(II) Three panel (for bottles):

(i) The panel of the left side shall be of size six and half centimetres X ten centimetres and shall contain the following information in at least one regional language:.
(a) Brand name;
(b) Common name;
(c) Instruction to "Read Leaflet Before Use";
(d) Cautionary word- 'Poison' in Red letters;
(e) Directions for use - Adequate directions as per label claims registered for use i.e., list of crops and recommended manner and time of application;
(f) Dosage;
(g) Optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum Pre-Harvest Interval(PHI);

(h) The following safety precautions - Wash contaminated clothes and parts of the body thoroughly after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation during application. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application;

(i) First Aid;

(j) Antidote;

(k) Warning *1.Not to be used on crops and Pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. Not to be used for Post Harvest Applications.
3.Destroy Container after use as directed on leaflet.
4.Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet; and

(l) Company's name and commercial space, Hologram of manufacturer, Barcode, email id and customer care number.

(ii)(A) The central panel shall be seven centimetres X ten centimetres and shall have the following information printed in English.

(a) Brand name;
(b) Common name;
(c) Registration Number;
(d) Manufacturer's licence number;
(e) Manufactured by;
(f) Marketed by;
(g) Date of Manufacture;
(h) Expiry date;
(i) Batch number;
(j) Net content;
(k) Composition of the formulation;
(l) Cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words;
(m) Instruction to "Read Leaflet Before Use"; and
(n) Warning *1.Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. Not to be used for Post Harvest Applications.
3.Destroy Container after use as directed on leaflet.
4.Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet

(B) The right side panel shall be seven and half centimetres X ten centimetres and shall contain the following information in Hindi.

(a) Brand name;
(b) Common name;
(c) Instruction to "Read Leaflet Before Use";
(d) Cautionary word 'Poison" in Red letters;
(e) Directions for use - Adequate directions as per the label claims registered for use i.e., list of crops and recommend manner and time of application;
(f) Dosage;
(g) Safety precautions;
(h) Optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum Pre-Harvest Interval(PHI).
(i) First Aid;
(j) Antidote;
(k) Warning : *1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. Not to be used for Post Harvest Applications.
3. Destroy Container after use as directed on leaflet.
4. Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet
(l) Company's name, barcode, hologram, email and customer care numbers shall be printed above the space earmarked for pictograms; and
(m) All the relevant safety pictograms (see picture III and IV in the THIRD SCHEDULE) of the size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel.

(iii) The label shall be printed legibly using font size of not less than seven points (7) in English and five and half points (5.5) in Hindi and Regional Languages.

(iv) If the container or packet or sachet is small, the product should be packed in an outer cover on which label of prescribed dimensions as per clause (i) of sub-rule (7) of rule 19 shall be printed.

996 GI/14-4

(v) In case where small packets or containers or sachets contains the product are packed in a larger packet, the small packets or containers or sachets, the following details shall be printed on the outer surface in English and Hindi and in font size of not less than five points (5):-

(a) Brand name;
(b) Common name;
(c) Manufacturer's license number;
(d) Batch number;
(e) Expiry date;
(f) Manufactured by; and
(g) The word "Poison" in Red letters.

(vi) The Model labels (Two panel and Three panel) shall be as per the pictures given in the THIRD SCHEDULE.

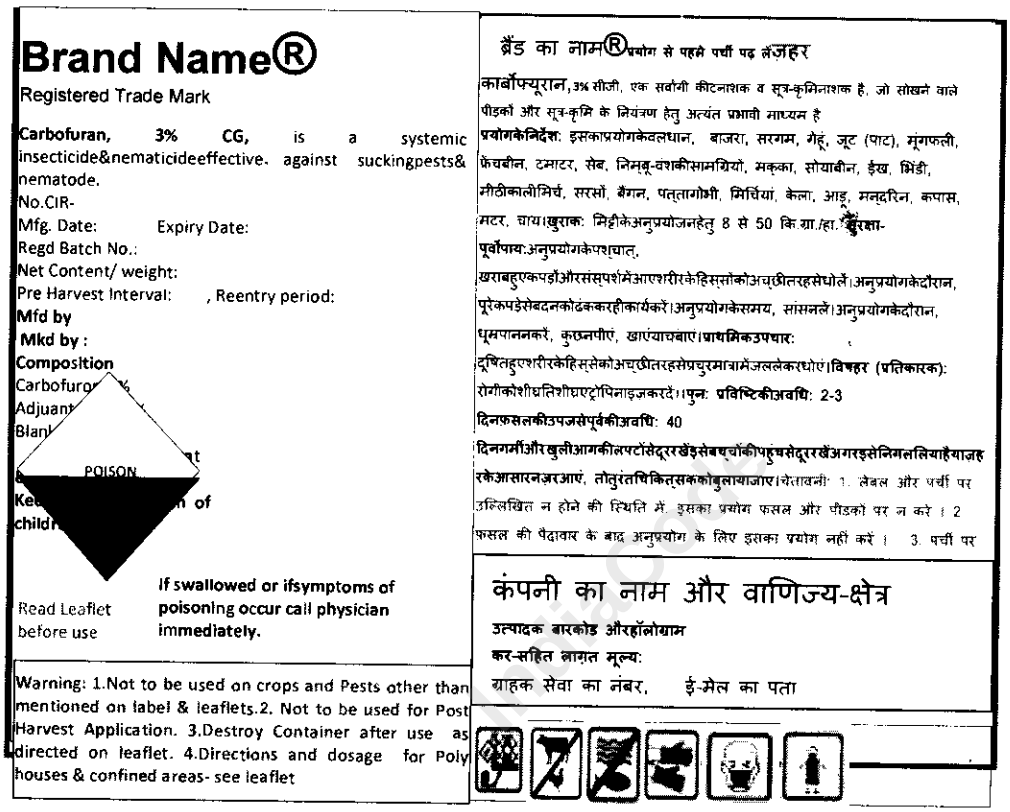
3. after the 'SECOND SCHEDULE', the following "THIRD SCHEDULE" shall be inserted, namely:-

[F. No. 13035/21/2013-PP-I]
Utpal Kumar Singh, Jt. Secy.

IndiaCode

"THE THIRD SCHEDULE
(See Rule 19)
(Picture – I)

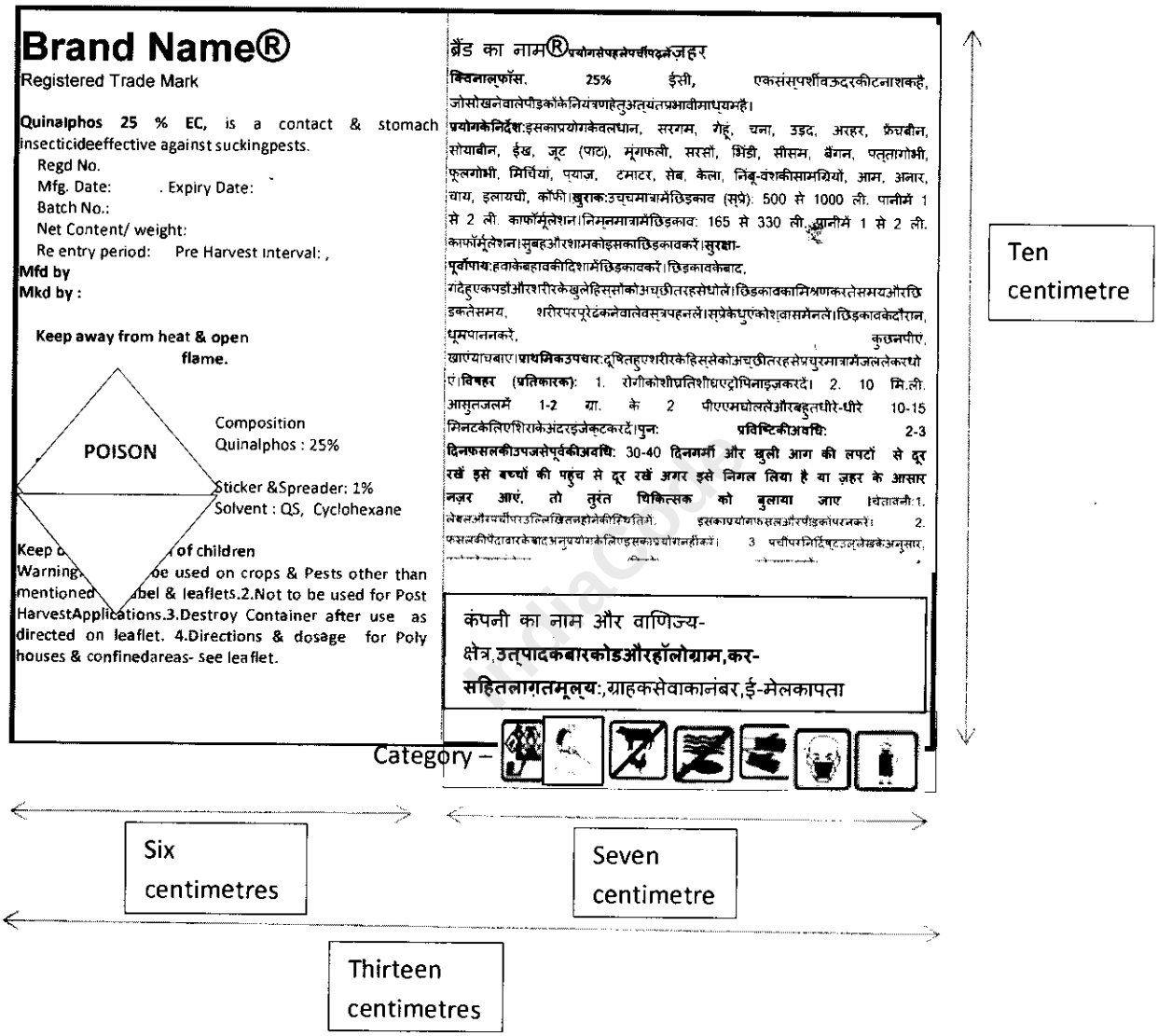
Two Panel label for Pesticides – Minimum Size



A. Size of Label	: Thirteen X ten centimetres
B. Area of Label	: One hundred and thirty square centimetres
C. Left Panel	: Sixty square centimetres
D. Right Panel	: Seventy Square Centimetres
1)Cautionary symbol	: One - sixteenth of the left panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetres.
2)Safety pictogram	: One square centimetre each at the bottom of right side panel.

(Picture – II)

Two Panel label for Pesticides –Minimum Size

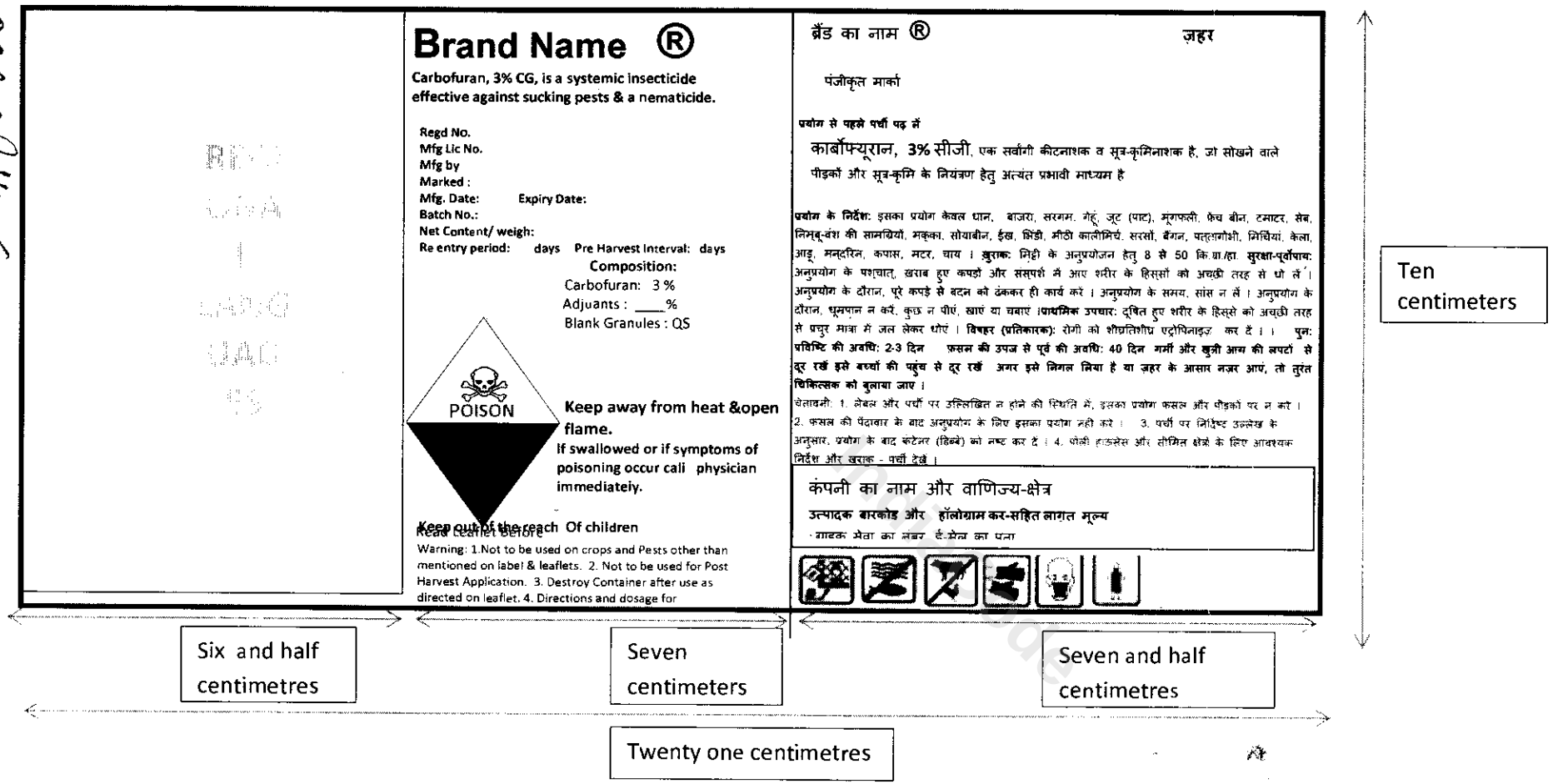


A. Size of Label	: Thirteen X ten centimetres
B. Area of Label	: One hundred and thirty square centimetres
C. Left Panel	: Sixty Square Centimetres
D. Right Panel	: Seventy Square Centimetres
E. Cautionary symbol	: One - sixteenth of the central panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetres.
F. Safety pictogram	: One square centimetre each at the bottom of right side panel.

1)

(Picture III)

Three Pane label for Pesticides – Minimum Size



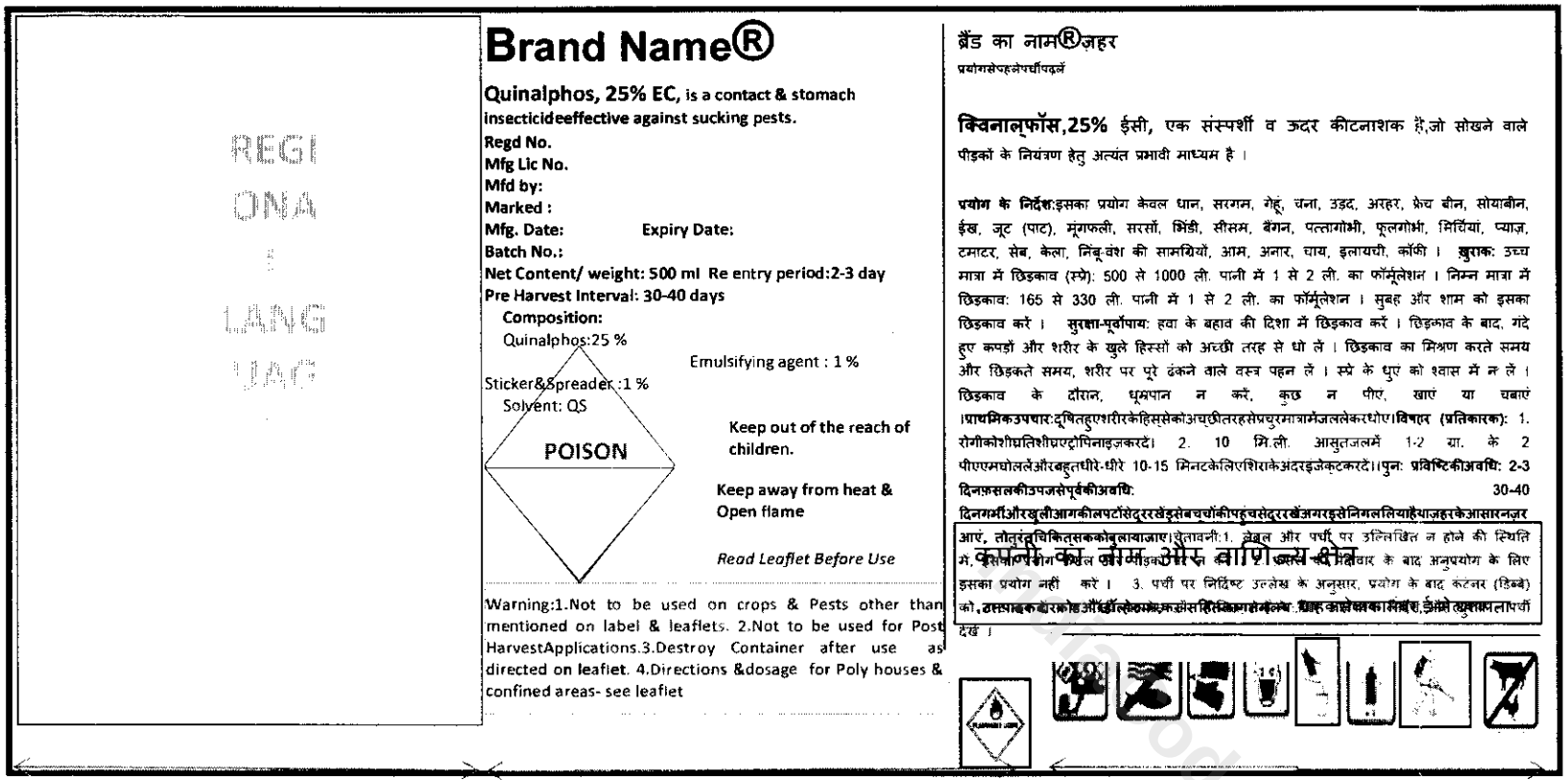
A. Size of Label	:Twenty one X Ten Centimetre	B. Area of Label	: Two hundred ten square centimetres
C. Left Panel	: Sixty-five square centimetres	D. Middle Panel	: Seventy square centimetres
E. Right Panel	: Seventy-five square centimetres		

1) Cautionary symbol : one-sixteenth of the central panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetres.

2) Safety pictogram : one square centimetre each at bottom of right side panel.

(Picture IV)

Three Pane label for Pesticides – Minimum Size



Ten Centimeters

Six and half

Seven Centimetres

Seven and half Centimetre

Twenty one Centimetre

A. Size of Label :Twenty one X Ten Centimetres
B. Area of Label : Two hundred ten square centimetres
C. Left Panel : Seventy-five square centimetres
D. Middle Panel : Sixty square centimetres
E. Right Panel : Seventy-five square centimetres

1. Cautionary symbol : one-sixteenth of the central panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetre
2. Safety pictogram min. : one square centimetre each at bottom of right side panel".

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650 (E), dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E),dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010, and
11. G.S.R. 474 (E) dated 11th July, 2013.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054